सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2019/00133 दर्ज तिथिः—02.07.2019

वादी		प्रतिवादी
पुरखाराम पुत्र मूलाराम		रामजीराम पुत्र रामचन्द्र वगैरा
जरिये अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई	बनाम	जरिये अधिवक्ता श्री रिड़मलराम चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—10
सिविल प्रक्रिया संहिता—1908
निर्णय तिथिः—22.12.2025

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना—पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—10 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः व तान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—53, 188 के तहत हाजा न्यायालय में वाद संख्या 2019/00133 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 13, 20, 125 मौजा बाण्ड तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी हैं। उक्त संयुक्त आराजी पर मुताबिक हिस्सा बाई मिट्स एवं बाई बाउण्ड्स खाता विभाजन कर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—10 के अन्तर्गत प्रार्थना प्रस्तुत कर वादपत्र पर कार्यवाही स्थगित करते हुए एक अन्य पूर्ववर्ती वाद संख्या 1227/2019 तथा 1230/2019 के निर्णय तक वर्तमान पश्चात्वर्ती हस्तगत वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने बाबत निम्न प्रकार निवेदन किया—
    - कि वर्तमान प्रकरण से पूर्व एक अन्य वाद संख्या 32/2004 उनवान रामजी बनाम कुंभा वास्ते घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। जिसका हाजा न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय 30.05.2017 को किया गया।
    - कि पूर्ववर्ती वाद संख्या 32/2004 उनवान रामजी बनाम कुंभा के निर्णय दिनांक 30.05.2017 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष अपील संख्या 2017/115 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 27.03.2019 को किया गया।
    - कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 2017/115 के निर्णय दिनांक 27.03.2019 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:54:51 IST
Reason: SelfAttested

- कि पूर्ववती अपील एवं हस्तगत वाद की आराजी, शीर्षक, अनुतोष समान होने से पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते हुए नया वाद प्रस्तुत किया जाना विधिविरूद्ध है।
- कि पूर्ववर्ती वाद के विचाराधीन रहते हुए नया वाद प्रस्तुत करने से वाद की बहुलता बढेगी। अतः हस्तगत वाद संख्या 2019 / 00133 की कार्यवाही पूर्ववर्ती अपील के निर्णय तक स्थिगित की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

3. प्रकरण में प्रतिवादी / प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का वादीगण द्वारा का जबाव प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया–
   - कि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद संयुक्त आराजी के विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है। पूर्ववर्ती अपील के नोटिस / सम्मन वादीगण को प्राप्त नहीं हुए। इस कारण वादीगण को पूर्ववर्ती वाद की जानकारी नहीं है। साथ ही दौरान–ए–विचारण वाद दोनों वाद के विवाद्यक बिन्दु भिन्न–भिन्न तय होने से वादीगण का वाद निरूद्देश्य नहीं होने से पश्चातवर्ती वाद की श्रेणी में नहीं आंका जा सकता।
   - कि हस्तगत वाद एवं पूर्ववर्ती अपील व दावा संख्या 32 / 2004 में भिन्न–भिन्न इश्तहुआ होने से वादीगण का हस्तगत वाद विचारण योग्य है। अतः उक्त आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के प्रावधान लागू नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र काबिल–ए–खारिज है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मूलतः एवं सारतः वाले पूर्ववर्ती वाद के सक्षम न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए समान पक्षकारों के मध्य समान विषय–वस्तु को लेकर पश्चात्वर्ती वाद के विचारण के न्यायालय को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच किया जाना आवश्यक है।

5. प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर जांच व विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वादपत्र की तुलना निम्न प्रकार है:–

परीक्षण का आधार	**पूर्ववर्ती वाद**	**पश्चात्वर्ती वाद**
वाद का प्रकार	दावा	दावा
शीर्षक	समान	
पक्षकार	समान	
सम्पति / आराजी	समान	
सक्षम न्यायालय	समान	
विषय–वस्तु	हिस्सा दुरूस्ती [illegible] विभाज[illegible]	विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 18:54:51 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में उक्त कानूनी प्रावधानों न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 की धारा–10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की उक्त प्रावधान व न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित परीक्षण पर पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वादपत्र की

तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में उक्त हस्तगत दावा में वर्णित संयुक्त आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त आराजी पर हिस्सा दुरूस्ती कर घोषणा व विभाजन को लेकर एक पूर्ववर्ती अपील अपीलीय न्यायालय पर विचाराधीन है। साथ ही उक्त पूर्ववर्ती अपील में हस्तगत प्रकरण में वादीगण पक्षकार हैं। उक्त पूर्ववर्ती अपील व वर्तमान वाद के दावा में वर्णित आराजी एवं काश्तकार समान हैं।

7. उल्लेखनीय है कि सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—10 के तहत पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद में विवाद की मुख्य विषय वस्तु समान होने पर पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही स्थगित किये जाने के प्रावधान हैं। उक्त प्रावधान अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय को पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद के वादी व प्रतिवादी के अभिकथनों को सारतः समझते हुए विवाद के मुख्य विषय वस्तु का चिन्हीकरण किये जाने की अपेक्षा की जाती है। अगर किसी वाद में किसी पक्षकार द्वारा अपने अभिवचनों की चतुराई पूर्वक शब्दों के हेरफेर व चतुराईपूर्वक प्रारूपण किये जाने से भिन्न—भिन्न विषयवस्तु का छद्म प्रस्तुतीकरण किये जाने का प्रयास किया जाता है। उस स्थिति में न्यायालय की विशेष भूमिका की अपेक्षा की जाती है। साथ ही प्रक्रियात्मक कानून की तकनीकी खामियों से न्यायालय विवश ना होकर अपनी अंतर्निहित शक्तियों का स्वतः प्रयोग लेकर किसी प्रकरण में सभी पक्षकारों के मध्य विवादग्रस्त विषयवस्तु के प्रभावी व समग्र निस्तारण हेतु न्यायालय आवश्यक कदम उठा सकता है।

8. प्रकरण में मुतनाजा आराजी का विभाजन चाहा गया है। इसी प्रकार पूर्ववर्ती वाद संख्या 32/2004 में उक्त आराजी पर घोषणा का दावा किया गया था। उक्त घोषणा का दावा संख्या 32/2004 वर्तमान में अपीलीय न्यायालय में अपील के विचाराधीन है। उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुए संयुक्त खातेदार होने के आधार पर विभाजन किये जाने से पूर्ववर्ती वाद की विषयवस्तु व आराजी पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही पूर्ववर्ती वाद की विषयवस्तु व आराजी के निर्णय से हस्तगत दावा की संयुक्त आराजी के खातेदारान पर प्रभाव पड़ना स्वभाविक है। एक तरह से संयुक्त आराजी का विभाजन का अनुतोष अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ववर्ती दावा संख्या 32/2004 की अपील के निर्णय पर आधारित व प्रभावित रहता है। इस कारण हस्तगत प्रकरण में पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद के वादी व प्रतिवादी के अभिकथनों को सारतः समझते हुए विवाद के मुख्य विषय वस्तु का चिन्हीकरण किये जाने के पश्चात् न्यायालय अपने विनम्र मत में पूर्ववर्ती व पश्चात्वर्ती वाद के मध्य विषयवस्तु की समानता पाता है। अतः

आदेश है कि

वादी का उक्त सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 की धारा—10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पूर्ववर्ती अपील के निर्णय तक पश्चात्वर्ती वाद 2019/00133 पर कार्यवाही स्थगित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.12.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.24 13:54:51 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर